OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

DATE:

विना समाज कत्याण अधिकारी अल्मोड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated 03 03 2015
----	------------------

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.802** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction of Motor Road from Melgaon to farakholi-Malli Mayoli (km. 4.00) in Almora district falls within jurisdiction of Farakholi & Malli Mayoli Village (s) in Bhanoli tahsils.

It is further certified that:

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.:-YES

Encl: As above

Vinod kumar Suman
District Collector, Almora

विला वना आल्मोड्रा

FORM-II

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

3 03 2015.	• • • • • • • •
0	N. 8 -21 -4- 10

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.802 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction of Motor Road from Melgaon to farakholi-Malli Mayoli (km. 4.00) in Almora district falls within jurisdiction of Farakholi & Malli Mayoli Village (s) in Bhanoli tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.802** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure 9
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Farakholi & Malli Mayoli villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Vinod kumar suman District Collector, Almora

बिका यू...

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोडा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत दन्या— आरासलफड़ मोटर मार्ग से मेलगांव मोटर मार्ग से फाराखोली—मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई0 4.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, भनोली

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार चन्याल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल कुमार चन्याल, उपजिलाधिकारी, भनोली, अध्यक्ष
- 2- श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 4- श्री प्राच्या देवा बी०डी०सी० क्षेत्र डसीली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोडा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत दन्या— आरासलफड़ मोटर मार्ग से मेलगांव मोटर मार्ग से फाराखोली—मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के कार्य (लम्बाई० 4.00िकमी०) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

> उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-भनोली जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-भनोली, जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र-30.3

रियोजना विवरण :— जनपद अल्मोडा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत दन्या- आरासलफड़ मोटर मार्ग से मेलगांव मोटर मार्ग से फारखोली-मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई० ४.०० किमी०)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम

> > तहसील-भनोली, जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोडा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के
अतुर्गत दन्या- आरासलफड़ मोटर मार्ग से मेलगांव मोटर मार्ग से फाराखोली-मल्ली मयोली
तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के कार्य (लम्बाई० 4.00किमी०) के निर्माण हेतु
वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग
विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु
आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कारारकाली द्वारा दिनांक
को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध
में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,
2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का
कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन
भृमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत
अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया
गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नेलगांव / भारतस्वीली /
अब्देश के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मीडा
(प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचाबद मसोली पोठअ०- गयोली विकास खण्डा घीलादेवी,अल्गेड्ड

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वि अ ०-धीलादेदी जिला-बल्मोडा

प्रपन्न-30.4

दिनांक

27-02-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत फाराब्वे

	हस्ताक्षर
कुमांक ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	8 (Mal)
महिसादत पाण्डेप	हन्मादत मान्डप
	Moffelyd
2 जीकान्ति छ ल्लाभ	Wist less hol
भीमहेग चन्द्र	HE Dung
12	0 51
भी गापाल दल	STICIEM FO
e4 1 0 < 0 ·	
जी है ये श चर्च दे जा शी	Hom.
71/2 11 21 21 21	J. 100
	EURA
E tieta viigit	
	हर शराभ
ST ES 2/17	
	× , × ,
68	

ह0/-ग्राम प्रधान

Colonery

विक शक्ता स्थापन

प्रति प्रवास प्रवास प्रवास

ग्राम पंचायत मसोली पोठओ०— ह्योली विकास खण्ड घोलादेवी,श्रुलमेड्स

दिनांक

-02-205को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... फाराजीली

कुमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		हिलापत पार्डप
\mathcal{O}_{1}	शि दिनायल भाग्ड	of la (Maria)
02	21 apristidadist 112	
		सर्भा हत
03	21 HEZAC 360 VIS	
04	क्रीभाषा देला यान्ड	जीवाल देव
	FII) ELL 21 -4-3 WI) 211-	Alphi-
05		
06	21 E (11 20 (1) 21)	हारादिल
	जी हरे शिराभ	हरीशराम
07		
C 8	जी गुगरीया सर्	NOG/21

प्रशासन्त प्रभोटिक प्राप्त प्रभावन प्रभोटिक प्राप्तभावन प्रभोटिक दिकास खण्ड भीताईपी,अल्मेड्ड

ह0 / -ग्राम प्रधान (प्रोहासाप

भीष वैद्याल कार्यकोती िक के कड़िया है।

जिल्ला - अस्माङ

प्रपत्र-30.4

दिनांक 27-02-7015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत फाराक्लेल (मल्ली भ्राही)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	में हंसादता पाठड्य	हरापत् यार्ड
02	भी जाच्या व एस प	क्रीजीविषया
63	में महेश चन्द	4501-16216
OA	भी गाणल दल	गायात्य देश
05	से हा शायल जोशी	Hon
56	हरिश्चादल आया	Et 12/3/17
07	1) 29 81	201013
38		17 71 A)
. 09	जी 01 गदीश यह	010 91X)
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

ग्राम प्रधान

परुली

र्गाम् विचान करियाची विकास स्थान करियाची विकास स्थान करियाची विकास स्थान स्था